

पं. 29/24/8
(प्रो. 8)

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी
उपस्थित। मूल वाद जरिये विद्वांस
खारिज हो चुका है। जिससे
उक्त T.1. प्रार्थना पत्र का कोई
अधिक्य नहीं रह जाता है। जिससे
उक्त T.1. प्रार्थना पत्र खारिज
किया जाता है। पत्रावली फंसल
सुमार लेकर नंबर से कम हो।



3
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली